

**CULTURAL AND SCIENTIFIC EXCHANGE PROGRAMME
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA FOR
THE YEARS 2002-2005**

In pursuance of the Cultural Agreement signed in New Delhi on 12th October, 1981 and desirous of developing further cultural relations between the two countries, the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Ghana have agreed on the following Cultural and Scientific Exchange Programme for the years 2002-2005.

SCIENCE AND EDUCATION

ARTICLE 1

Both sides agree to exchange five experts in Humanities and Social Sciences, Science, Engineering & Technology for a period of up to three weeks each for study-cum-lecture, exchange of views and developing contacts.

Indian Implementing Agency : **University Grants Commission**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Education**

ARTICLE 2

During the validity of the present Programme the Indian Government shall grant annually to the Ghana Government two scholarships for regular academic courses/professional training in areas to be specified through diplomatic channels.

Indian Implementing Agency: **Indian Council of Cultural
Relations**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Education**

ARTICLE 3

During the validity of this Programme, the Ghanaian side will offer annually to the Indian side five scholarships for Doctoral/Post Doctoral studies/research. Details will be specified through diplomatic channels.

Indian Implementing Agency: **Association of Indian
Universities**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Education**

ARTICLE 4

Both sides will exchange three persons for staff training in the field of Science & Technology. The staff training will not be restricted to the academic institutes only, but will extend to National Institutes and the Department of Science & Technology aided institutions.

Indian Implementing Agency : **University Grants Commission**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Education**

ARTICLE 5

Both sides will encourage development of bilateral academic links between universities/institutions of higher education in the two countries.

Indian Implementing Agency: **Association of Indian Universities**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Education**

ARTICLE 6

Both sides will facilitates participation of five scholars in the national/international conferences, seminars, etc organized in the two countries and also provide facilities to such scholars for post-conference visits to centres of their interest for a period not exceeding two weeks.

Indian Implementing Agency : **University Grants Commission**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Education**

ARTICLE 7

Both sides will encourage and facilitate exchange of scientific material published in each other's countries.

Indian Implementing Agency : **University Grants Commission**
Ghanaian Implementing Agency : **C.S.I.R.**

ARTICLE 8

Both sides will exchange information on the education system of each other's country and also exchange study material in the field of School/University Education.

Indian Implementing Agency: **Association of Indian Universities**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Education**

ARTICLE 9

Both sides will exchange audio-visual material such as video tapes, film multi media etc. in the field of school education.

Indian Implementing Agency: **NCERT**
Ghanaian Implementing Agency : **National Film & Television Institute.**

ARTICLE 10

Both sides will exchange one social scientist for exploratory studies in the field of social science research. Details will be settled through mutual consultation.

CULTURE AND ARTS

ARTICLE 11

The National Libraries of the two sides will exchange bibliographies, as well as important publications in the field of economics and social and cultural developments in their countries.

Indian Implementing Agency: **National Library**
Ghanaian Implementing Agency : **Ghana Library Board**

ARTICLE 12

During the validity of the programme both sides will exchange 3-4 cultural experts/artists/scholars for a maximum period of ten days. The details will be settled through diplomatic channels.

Indian Implementing Agency: **Indian Council of Cultural Relations**
Ghanaian Implementing Agency : **National Commission on Culture**

ARTICLE 13

During the validity of this programme, both sides will exchange music ensembles/dance troupes of up to 10-15 members for a period of seven days. The details will be settled through diplomatic channels.

Indian Implementing Agency: **Indian Council of Cultural Relations**
Ghanaian Implementing Agency : **National Commission on Culture**

ARTICLE 14

During the validity of this programme both sides will exchange an exhibition of folk/plastic arts for a period of 2-3 weeks to be shown in different parts of the country. Each exhibition will be accompanied by one official/commissioner. The details will be settled through diplomatic channels.

Indian Implementing Agency: **Lalit Kala Akademi**
Ghanaian Implementing Agency : **National Commission on Culture**

MASS MEDIA

ARTICLE 15

Both sides will undertake to encourage exchange of Radio programmes focusing on cultural and developmental aspects of the respective countries including areas of tourism. Recordings of special programmes to mark anniversaries of leaders will be made available on request.

Indian Implementing Agency: **Ministry of I&B**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Information**

ARTICLE 16

AIR will send special recordings of Indian classical and light music (non-film) gratis. A list of recordings available will be sent to the Broadcasting Organisation in Ghana for making their selections. In exchange, similar programmes will be sent by Ghana.

Indian Implementing Agency: **Ministry of I&B**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Information**

ARTICLE 17

Both sides will make their training facilities both in Programme and technical areas available to two candidates, at a time, in a given academic year. The sending country will bear the total expenditure of the trainees.

ARTICLE 18

Both sides shall exchange T.V. programmes for understanding the different aspects of life and culture of the other country.

ARTICLE 19

Both sides shall exchange faculty for a short duration between the FTII, Pune and Ghana Film School.

Indian Implementing Agency: **Ministry of I&B**
Ghanaian Implementing Agency : **National Film & Television Institute**

ARTICLE 20

Both sides shall exchange two journalists including those who are engaged in dissemination of Govt. information for a period not exceeding two weeks.

ARTICLE 21

Both sides agree to organize mutual film weeks with the participation of two-member film delegations and also encourage participation in Film Festivals.

ARTICLE 22

The two sides will make their training facilities in the field of information dissemination available to each other and training programmes will be in the field of State/Government Information Services.

SPORTS

ARTICLE 23

Ghana will send and India will receive two hockey coaches for training. Details will be settled through consultations.

Indian Implementing Agency: **Sports Authority of India**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Youth and Sports**

ARTICLE 24

India will on request send to Ghana, one volley ball coach to lecture at their Sports College. Details will be settled through mutual consultations.

Indian Implementing Agency: **Sports Authority of India**
Ghanaian Implementing Agency : **Ministry of Youth & Sports**

MUSEUM, MONUMENTS AND ARCHIVES

ARTICLE 25

Both sides will exchange 2-3 standard art publications and 20/25 colour reproductions of masterpieces of art on reciprocal basis.

Indian Implementing Agency: **National Museum**
Ghanaian Implementing Agency : **National Art Gallery**

ARTICLE 26

Both sides will exchange one archaeologist for exploring the possibilities for further exchanges in Archaeology.

Indian Implementing Agency: **Archaeological Survey of India**
Ghanaian Implementing Agency : **Archaeology Dept. University of Ghana**

ARTICLE 27

Both parties shall exchange information on Museums.

Indian Implementing Agency: **National Museum**
Ghanaian Implementing Agency : **Museums and Monuments Board**

ARTICLE 28

Both sides will exchange 1 Archivist for two weeks for study-cum-observation on archival practices and exchange of views on archival co-operation.

Indian Implementing Agency: **National Archives of India**
Ghanaian Implementing Agency : **Public Records and Archives
Administration Department**

ARTICLE 29

Both sides will organize Short Term Training Courses for officials of the other side in Conservation, Records Management and Reprography. The details will be decided through mutual consultation.

Indian Implementing Agency: **National Archives of India**
Ghanaian Implementing Agency : **Public Records and Archives
Administration Department**

MISCELLANEOUS

ARTICLE 30

Additional proposals, not included in this programme, aimed at strengthening the friendly ties between the two sides will be considered and carried out by mutual consent, through diplomatic channels.

ARTICLE 31

The general terms mentioned in the annexure will form an integral part of the Exchange Programme. The financial terms applicable for the implementation of this Programme shall be settled by mutual consultations through diplomatic channels.

The present programme comes into force as from the date of signature by the two sides and will be valid till a fresh Exchange Programme signed.

Done and signed in New Delhi on this 14th day of Sravana 1924-Saka corresponding to the 5th day of August two thousand two (AD), in four originals, two each in Hindi and English, all texts being equally authentic.


FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA


FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
GHANA

GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

I. EXCHANGE OF INDIVIDUALS / EXHIBITIONS/DELEGATIONS

1. Each side shall send to the other side the bio-data (including languages spoken) work plan and proposed itinerary at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation (s)/individuals(s) selected under this programme and at least three months in advance in the case of performing delegations and exhibitions;
2. The receiving side shall intimate the acceptance or otherwise of the proposal within one month after the receipt;
3. After the approval has been received, the sending side shall inform the receiving side at least three weeks in advance of the exact mode and time of arrival of the persons;
4. Persons invited should know either the language of receiving side or English; and
5. Both sides shall extend facilities to the delegations(s)/individuals(s) from the other country to get acquainted with the culture and life of the host country.
6. Both sides shall provide free medical care in case of sudden illness.

SCHOLARSHIPS

- a) The receiving side shall announce the granting of scholarships at least three months before the start of the school calendar year or not later than 30th November;
- b) The sending side shall forward to the receiving side the candidate's files at least three months before the start of the school calendar year or not later than 28th February;
- c) The candidate's files must contain:
 - i) Curriculum vitae
 - ii) Diplomas/degrees/certificates
 - iii) Details of study or research programmes
 - iv) Health certificates.
- d) The receiving side shall give notice of the scholars to be accepted at least three months before the start of the school calendar year not later than 31st of May.

Each side shall have the right to use the materials exchanged in the fields of information, radio and television in its own programmes provided that such use is

within the authority granted by the sending side to the receiving side and that materials should not be given by the receiving side to any third side. The sending side shall be responsible obtaining the necessary license from the author or creator of said materials as well as sending them to the receiving side.

FINANCIAL TERMS

In case of visits not exceeding one month

(including performing delegations and person accompanying exhibition(s) subject to mutual consultations)

- a) The sending side shall cover travel expenses to-and-fro from both
- b) The receiving side shall offer:
 - i) In the Republic of Ghana:
 - /// local transport or internal travel expenses according to the programme of the visits;
 - /// suitable free accommodation;
 - /// suitable board and lodging
 - ii) In the Republic of India
 - /// internal travel;
 - /// suitable free accommodation;
 - /// free board or a cash allowance of Rs. 1000/- per person per day, if breakfast is included in lodging; or Rs. 1100/- per person per day.
 - /// if breakfast is not included in lodging;
 - /// local transport, or a cash allowance of Rs. 500/- per person per day; and
 - /// an out-of-pocket allowance of Rs. 250/- per person per day for sundry expenses.
- (c) Both sides shall provide free medical care in case of sudden illness.

In case of visits exceeding one month

In case of visits exceeding one month both sides shall agree upon financial terms in each case separately.

ENSEMBLES

- (a) The proposals concerning the exchange of performing ensembles shall be made through diplomatic channels at least nine(9) months in advance. The receiving side shall respond to the proposal within two(2) months.
- (b) The sending side will cover travel costs of ensembles and transportation costs of their requisites to the first destination in the receiving country and back.
- (c) The receiving side will meet the cost of stay, internal travel and all other costs related to the organization of performances.

- (d) The sending side will provide the receiving side with all relevant information concerning the ensembles, programmes, press material, date of arrival and departure etc... at least four(4) months in advance.
- (e) However, variations from the above may be decided by the organizers of these exchanges by advance mutual agreement.

In the case of performing artists and delegations, the receiving side shall also be responsible for:

- i. arranging the performances of the visiting performing troupes in suitable halls.
- ii. arranging due publicity for the performances;
- iii. providing lighting and sound arrangements required;
- iv. normal facilities like ironing of the costumes, if required; and
- v. providing light refreshment to the performing artists/delegations during rehearsals and intermissions etc.

EXHIBITIONS

- (a) The sending side shall cover the costs connected with transportation of the exhibits to the first place of their destination in the receiving country and back to the capital of the sending country from the last place of exhibition.
- (b) The receiving side shall cover the costs concerned with the transportation of the exhibits to other places within its territory.
- (c) The receiving side shall ensure at its own expenses the installation of the exhibition and its propagation including the catalogues, brochures, etc.
- (d) The sending side shall cover the cost of insurance for the entire period the exhibition is out of its country. In case the sending side suffers loss or damages to the exhibits, the receiving side shall be obliged to get all the documentation relating to the loss or damages to enable the sending side to claim compensation from the insurance company. The costs connected with the acquisition of the said documentation are to be covered by the receiving side.
- (e) If the exhibition is sent to a third country, the cost of transportation to that country would be the responsibility of the sending country from the last place of exhibition.
- (f) The sending side shall send all the necessary materials/description, data concerning the space needed for the exhibition and information for compiling the catalogues etc. three months prior to the opening of the exhibition if possible; the exhibits at least six weeks prior to the opening of the exhibition;
- (g) One or two artists/commissioners shall accompany the exhibition if considered necessary by the sending side, and shall be provided local hospitality by the receiving side as provided under the present programme.

भारत गणराज्य की सरकार तथा घाना गणराज्य की सरकार के बीच वर्ष 2002-2005 के लिए सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

12 अक्टूबर, 1981 को नई दिल्ली में हुए सांस्कृतिक करार के अनुसरण में तथा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और विकसित करने की इच्छा से, भारत गणराज्य सरकार तथा घाना गणराज्य सरकार वर्ष 2002-2005 के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं।

विज्ञान तथा शिक्षा

1. दोनों पक्ष, अध्ययन-सह-व्याख्यान, विचारों के आदान-प्रदान तथा सम्पर्क बढ़ाने के लिए मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तीन-तीन सप्ताह तक के लिए पांच विशेषज्ञों के आदान-प्रदान पर सहमत हैं।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : शिक्षा मंत्रालय

2. वर्तमान कार्यक्रम की वैधता के दौरान, भारत सरकार, राजनयिक माध्यमों से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रमों/व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए घाना सरकार को प्रत्येक वर्ष दो छात्रवृत्तियां प्रदान करेगी।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : शिक्षा मंत्रालय

3. इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, घाना सरकार डॉक्टरल/ पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन/ अनुसंधान के लिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को पांच छात्रवृत्तियां प्रदान करेगी। इसके ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय विश्वविद्यालय संघ
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : शिक्षा मंत्रालय

4. दोनों पक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्मिक प्रशिक्षण के लिए तीन व्यक्तियों का आदान-प्रदान करेंगे। कार्मिक प्रशिक्षण शैक्षिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं होगा अपितु यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थानों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कार्मिकों को भी दिया जाएगा।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : शिक्षा मंत्रालय

5. दोनों पक्ष, दोनों देशों में उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों के विकास को बढ़ावा देंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय विश्वविद्यालय संघ
घाना में कार्यान्वयन एजेंसी : शिक्षा मंत्रालय

6. दोनों पक्ष, दोनों देशों में आयोजित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में पाँच विद्वानों की भागीदारी में सहायता करेंगे तथा साथ ही दोनों पक्ष, ऐसे विद्वानों को सम्मेलन उपरान्त उनकी रुचि के केन्द्रों में अधिकतम दो सप्ताह के दौरे के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : शिक्षा मंत्रालय

7. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में प्रकाशित वैज्ञानिक सामग्री को प्रोत्साहित करेंगे तथा इसके आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.)

8. दोनों पक्ष एक दूसरे के देश की शिक्षा प्रणाली के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे तथा विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन सामग्री का भी आदान-प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय विश्वविद्यालय संघ
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : शिक्षा मंत्रालय

9. दोनों पक्ष, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में वीडियो, टेप, फिल्म, मल्टीमीडिया आदि जैसी श्रव्य-दृश्य सामग्री का आदान प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : एन.सी.ई.आर.टी.
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

10. दोनों पक्ष, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में अन्वेषणात्मक अध्ययनों के लिए एक-एक समाज वैज्ञानिक का आदान-प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

संस्कृति एवं कला

11. दोनों पक्षों के राष्ट्रीय पुस्तकालय, अपने-अपने देश में आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के क्षेत्र में ग्रन्थ-सूचियों तथा महत्वपूर्ण प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय पुस्तकालय
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : घाना पुस्तकालय बोर्ड

12. इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, दोनों पक्ष, अधिकतम 10 दिनों के लिए 3-4 सांस्कृतिक विशेषज्ञों/कलाकारों/ विद्वानों का आदान-प्रदान करेंगे। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय संस्कृति आयोग

13. इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, दोनों पक्ष, 7 दिनों के लिए 10-15 सदस्यों की संगीत/नृत्य मण्डलियों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय संस्कृति आयोग

14. इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, दोनों पक्ष 2-3 सप्ताह के लिए लोक/प्लास्टिक कलाओं की प्रदर्शनी का आदान-प्रदान करेंगे, जिसे देश के विभिन्न भागों में दिखाया जाएगा। प्रत्येक प्रदर्शनी के साथ एक अधिकारी/कमीशनर रहेगा। इसके ब्यौरे राजनयिक माध्यम से तय किए जाएंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : ललित कला अकादमी
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय संस्कृति आयोग

जन संचार माध्यम

15. दोनों पक्ष, पर्यटन क्षेत्रों सहित अपने-अपने देश के सांस्कृतिक तथा विकास के पहलुओं पर रेडियो कार्यक्रमों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। अनुरोध पर नेताओं की जयन्तियों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रमों की रिकार्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : सूचना मंत्रालय

16. आकाशवाणी, भारतीय शास्त्रीय तथा सुगम संगीत (गैर-फिल्मी) की विशेष रिकार्डिंग मुफ्त भेजेगा। उपलब्ध रिकार्डिंग की एक सूची घाना में प्रसारण केन्द्र को भेजी जाएगी ताकि वे अपनी पसंद की रिकार्डिंग का चयन कर सकें। बदले में इसी प्रकार के कार्यक्रम घाना द्वारा भेजे जाएंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : सूचना मंत्रालय

17. दोनों पक्ष, किसी वर्ष विशेष में उल्लिखित समय पर दो उम्मीदवारों को कार्यक्रम तथा तकनीकी दोनों क्षेत्रों में अपनी-अपनी प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ कराएंगे।
18. दोनों पक्ष, एक दूसरे के देश के जीवन और उसकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझाने के उद्देश्य से दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।
19. दोनों पक्ष, एफटीआईआई, पुणे तथा घाना फिल्म स्कूल के बीच अल्पावधि के लिए फैकल्टी का आदान-प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान

20. दोनों पक्ष, ऐसे पत्रकारों सहित जो सरकारी सूचना के प्रसार में कार्यरत हैं, अधिकतम दो सप्ताह के लिए दो-दो पत्रकारों का आदान प्रदान करेंगे।
21. दोनों पक्ष, दो सदस्यीय फिल्मी शिष्टमण्डल की भागीदारी से परस्पर फिल्म सप्ताह आयोजित करने तथा साथ ही फिल्मोत्सवों में भागीदार को प्रोत्साहित करने के लिए सहमत हैं।
22. दोनों पक्ष, सूचना के प्रसार के क्षेत्र में एक-दूसरे को अपनी अपनी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तथा राज्य/सरकार सूचना सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

खेल

23. घाना प्रशिक्षणार्थ हॉकी के दो प्रशिक्षक भेजेगा और भारत उनकी मेजबानी करेगा। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय खेल प्राधिकरण
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : युवा तथा खेल मंत्रालय

24. घाना के अनुरोध पर भारत वहाँ के खेल कालेज में व्याख्यान देने हेतु बालीबाल का एक प्रशिक्षक भेजेगा। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय खेल प्राधिकरण
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : युवा तथा खेल मंत्रालय

संग्रहालय, स्मारक तथा अभिलेखागार

25. दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर, 2-3 मानक कला प्रकाशनों तथा उत्कृष्ट कलाकृतियों की 20/24 रंगीन प्रतिकृतियों का आदान-प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय संग्रहालय
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय कला संग्रहालय

26. दोनों पक्ष, पुरातत्व के क्षेत्र में आगे और आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक-एक पुरातत्वविद् का आदान-प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : पुरातत्व विभाग, घाना विश्वविद्यालय

27. दोनों पक्ष, संग्रहालयों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय संग्रहालय
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : संग्रहालय तथा स्मारक बोर्ड

28. दोनों पक्ष, अभिलेखविद् पद्धतियों पर अध्ययन-सह-प्रेक्षण के लिए तथा अभिलेख संबंधी सहयोग पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु दो सप्ताह के लिए एक-एक अभिलेखविद् का आदान-प्रदान करेंगे।

भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : सार्वजनिक रिकार्ड तथा अभिलेखागार प्रशासन विभाग

29. दोनों पक्ष, एक दूसरे के देश के अधिकारियों के लिए संरक्षण, अभिलेख प्रबंधन तथा रिप्रोग्राफी के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करेंगे।
ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जायेंगे।


भारतीय कार्यान्वयन एजेंसी : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
घाना की कार्यान्वयन एजेंसी : सार्वजनिक रिकार्ड तथा अभिलेखागार प्रशासन विभाग

विविध

30. इस कार्यक्रम से अलग ऐसे अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें परस्पर सहमति तथा राजनयिक माध्यमों से निष्पादित किया जाएगा जिनका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करना हो।
31. अनुबंध में उल्लिखित सामान्य शर्तें इस आदान-प्रदान कार्यक्रम का अभिन्न भाग होंगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लागू वित्तीय शर्तें राजनयिक माध्यमों से परस्पर परामर्श करके तय की जाएंगी।

वर्तमान कार्यक्रम दोनों पक्षों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा और तब तक वैध रहेगा जब तक किसी नए आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

इस कार्यक्रम पर नई दिल्ली में 14 श्रावण, 1924 शक तदनुरूपी 5 अगस्त, 2002 (ईसवी) को चार मूल प्रतियों (हिन्दी तथा अँग्रेजी की दो-दो प्रतियों), जो समान रूप से प्रमाणित हैं, पर हस्ताक्षर किए गए।



भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से



घाना गणराज्य की
सरकार की ओर से

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

1. व्यक्तियों/प्रदर्शनियों/शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं सहित) कार्य योजना तथा प्रस्तावित दौरा-विवरण इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए शिष्टमंडल (मंडलों)/ व्यक्ति (व्यक्तियों) के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व तथा प्रदर्शनकारी शिष्टमंडलों तथा प्रदर्शनियों के मामले में कम से कम तीन माह पहले भेजेगा।
2. मेजबान पक्ष उक्त जानकारी प्राप्त करने के एक माह के भीतर प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्यथा की सूचना देगा।
3. अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात प्रेषक पक्ष व्यक्तियों के आगमन के तरीके तथा समय की जानकारी कम से कम तीन सप्ताह पूर्व मेजबान पक्ष को देगा।
4. आमंत्रित व्यक्तियों को मेजबान पक्ष की भाषा की अथवा अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए; और
5. दोनों पक्ष, एक दूसरे के देश के शिष्टमंडल (मंडलों)/व्यक्ति(व्यक्तियों) को मेजबान देश की संस्कृति तथा जीवन से परिचित कराने के लिए सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
6. दोनों पक्ष, आकस्मिक बीमारी के मामले में निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे।

छात्रवृत्तियाँ

- (क) मेजबान पक्ष विद्यालय के कैलेंडर वर्ष के आरंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व अथवा 30 नवंबर तक छात्रवृत्तियों की मंजूरी की घोषणा करेगा।

सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

1. व्यक्तियों/प्रदर्शनियों/शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं सहित) कार्य योजना तथा प्रस्तावित दौरा-विवरण इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए शिष्टमंडल (मंडलों)/ व्यक्ति (व्यक्तियों) के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व तथा प्रदर्शनकारी शिष्टमंडलों तथा प्रदर्शनियों के मामले में कम से कम तीन माह पहले भेजेगा।
2. मेजबान पक्ष उक्त जानकारी प्राप्त करने के एक माह के भीतर प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्यथा की सूचना देगा।
3. अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात प्रेषक पक्ष व्यक्तियों के आगमन के तरीके तथा समय की जानकारी कम से कम तीन सप्ताह पूर्व मेजबान पक्ष को देगा।
4. आमंत्रित व्यक्तियों को मेजबान पक्ष की भाषा की अथवा अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए; और
5. दोनों पक्ष, एक दूसरे के देश के शिष्टमंडल (मंडलों)/व्यक्ति(व्यक्तियों) को मेजबान देश की संस्कृति तथा जीवन से परिचित कराने के लिए सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
6. दोनों पक्ष, आकस्मिक बीमारी के मामले में निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे।

छात्रवृत्तियाँ

- (क) मेजबान पक्ष विद्यालय के कैलेंडर वर्ष के आरंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व अथवा 30 नवंबर तक छात्रवृत्तियों की मंजूरी की घोषणा करेगा।

घाना गणराज्य में :

- * दौरों के कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय परिवहन अथवा आंतरिक यात्रा व्यय।
- * उपयुक्त निःशुल्क आवास;
- * उपयुक्त खान-पान तथा आवास सुविधा

(11) भारत गणराज्य में

- * आंतरिक यात्रा
- * उपयुक्त निःशुल्क आवास
- * निःशुल्क खान-पान अथवा नकद भत्ता 1000/- रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन, यदि आवास सुविधा में नाश्ता शामिल हो, अथवा 1100/- रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन, यदि आवास में नाश्ता शामिल नहीं हो;
- * स्थानीय परिवहन, अथवा 500/- रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन। विविध व्यय के रूप में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 250/-रु० का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता।

(ग) आकस्मिक बीमारी के मामले में दोनों पक्ष निःशुल्क चिकित्सा देख-भाल उपलब्ध कराएंगे।

दौरों के एक माह से अधिक समय तक चलने के मामले में।

यदि दौरे की अवधि एक माह से अधिक हो, तो दोनों पक्ष प्रत्येक मामले में पृथक रूप से वित्तीय शर्तों पर सहमति देंगे।

मंडली (एनसेम्बल)

- (क) प्रदर्शनकारी मंडलियों के आदान-प्रदान से संबंधित प्रस्तावों को कम से कम नौ (9) माह पहले राजनयिक माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। मेजबान पक्ष दो (2) माह के भीतर प्रस्ताव का उत्तर देगा।
- (ख) प्रेषक पक्ष मेजबान देश में प्रथम गन्तव्य स्थान तक लाने तथा ले जाने के लिए मंडलियों की यात्रा लागत तथा उनकी आवश्यक सामग्रियों की परिवहन लागत को वहन करेगा।
- (ग) मेजबान पक्ष ठहरने, आंतरिक यात्रा की लागत तथा प्रदर्शनों को आयोजित करने से संबंधित सभी अन्य लागतों को वहन करेगा।
- (घ) प्रेषक पक्ष मंडलियों, कार्यक्रमों, प्रेस सामग्री, आगमन और प्रस्थान की तारीख इत्यादि से संबंधित सभी संगत जानकारी कम से कम चार (4) महीने पहले मेजबान पक्ष को उपलब्ध कराएगा।
- (ङ) तथापि, उपर्युक्त व्यवस्थाओं में किसी फेर-बदल का निर्णय इन आदान-प्रदानों के आयोजकों द्वारा अग्रिम परस्पर सहमति से किया जाए।

प्रदर्शनकारी कलाकारों तथा शिष्टमंडलों के मामले में, मेजबान पक्ष निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- i) दौरे पर आए हुए समूहों के प्रदर्शन की व्यवस्था उपयुक्त हॉलों में करना;
- ii) प्रदर्शनों के लिए उचित प्रचार की व्यवस्था करना;
- iii) प्रकाश तथा ध्वनि की अपेक्षित व्यवस्था करना;
- iv) सामान्य सुविधाएँ, जैसे पोशाकों पर इस्तिरी करना, यदि जरूरी हो; तथा

- v) पूर्वाभ्यासों तथा प्रदर्शन के मध्य अवकाश इत्यादि के दौरान अल्प जलपान उपलब्ध कराना।

प्रदर्शनियाँ

- (क) प्रेषक पक्ष मेजबान देश में, प्रदर्शों को उनके प्रथम गंतव्य स्थान तक तथा प्रदर्शनी के अंतिम स्थान से वापस प्रेषक देश की राजधानी तक ले जाने और लाने से संबंधित खर्च वहन करेगा।
- (ख) मेजबान पक्ष प्रदर्शों को उसके देश में अन्य स्थानों में ले जाने और लाने से संबंधित खर्च वहन करेगा।
- (ग) मेजबान पक्ष अपने व्यय पर सूची पत्र, विवरणिका आदि सहित प्रदर्शनी लगाने तथा इसके प्रचार को सुनिश्चित करेगा।
- (घ) प्रेषक पक्ष अपने देश के बाहर लगायी गई प्रदर्शनी के पूरे समय के लिए बीमा की राशि वहन करेगा। यदि प्रेषक पक्ष के प्रदर्शों को हानि या क्षति होती है, तो मेजबान हानि अथवा क्षति से संबंधित पूरे प्रलेखन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा ताकि प्रेषक पक्ष बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा कर सके। उक्त प्रलेखन की प्राप्ति से संबंधित राशि मेजबान द्वारा वहन की जाएगी।
- (ङ) यदि प्रदर्शनी किसी अन्य देश में की जाती है तो प्रदर्शनी के अंतिम स्थल से उस देश को प्रदर्शनी के परिवहन के खर्च की जिम्मेदारी प्रेषक देश की होगी।
- (च) प्रेषक पक्ष सभी आवश्यक सामग्री/विवरण, प्रदर्शनी के लिए आवश्यक जगह से संबंधित आंकड़े और सूची संग्रह करने की सूचना यदि संभव हो तो, प्रदर्शनी शुरू होने के तीन महीने पहले तथा प्रदर्शों को प्रदर्शनी शुरू होने के कम से कम छः सप्ताह पहले भेजेगा।
- (छ) यदि प्रेषक के द्वारा जरूरी समझा गया हो तो एक या दो कलाकार/कमिश्नर प्रदर्शनी के साथ जायेंगे तथा मेजबान द्वारा उन्हें वर्तमान कार्यक्रम के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार स्थानीय अतिथ्य प्रदान किया जाना चाहिए।